195 GT-2066/72

~~To be~~ published ~~in the Gazette of India Part II,~~ Section 3, Sub-Section (i), as G.S.R. No.319 dt. 18.3.1972.

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines
(Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines
(Khan Vibhag)

...

New Delhi, the 14th February, 1972.
25th Magha, 1893

NOTIFICATION

G.S.R. No.319. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957(67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (First Amendment) Rules, 197 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,-

(1) In rule 9, in sub-rule(2), the following proviso shall be inserted at the end of clause (d), namely:-

"Provided that a properly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days.";

(2) in rule 22, in sub-rule(3), the following proviso shall be inserted at the end of clause (d), namely :-

"Provided that a properly sworn affidavit stating

....../-

that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days".

( No.1/26/71-MVI )

( HARSHA GUPTA )
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

TO

The General Manager,
Government of India Press,
Minto Road,
New Delhi.

1815 GT-2066/72

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे सा० का० नि० सं० 319, तारीख 18 मार्च, 1972, के रूप मे प्रकाशित )

---

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

---

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972.

## अधिसूचना

---

सा० का० नि० सं० 319. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 मे और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमो का नाम खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 मे, -

(1) नियम 9 मे, उपनियम (2) मे, निम्नलिखित परन्तुक खण्ड (घ) के अन्त मे अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु उचित रूप से किया गया शपथ-पत्र जिसमे यह उल्लिखित हो कि कोई देय बकाया नही है, इस शर्त के अधीन रहते हुए

पर्याप्त होगा कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख के नब्बे दिन के भीतर दिया जाएगा और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाण-पत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा ।"

(2) नियम 22 में, उपनियम (3) में, निम्नलिखित परन्तुक खण्ड (घ) के अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु उचित रूप से किया गया शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि कोई देय बकाया नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए पर्याप्त होगा कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख के नब्बे दिन के भीतर दिया जाएगा और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाण-पत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा ।"

( सं० 1/26/71-खान-6 )

( हर्ष गुप्त )
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली ।
- - - - -